


10/6/25

अभिभाषक उग्रपक्ष उपो अभिभाषक उग्रपक्ष  
 की लक्ष्य कुनी गई। उग्र प्रकृष्ट मा. न्यायालय  
 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय  
 दिनांक 31/11/2025 के द्वारा इस आदेश के साथ  
 रिमांड होकर प्राप्त हुआ है कि यदि प्रकृष्ट  
 में किसी सक्षम अफसर का स्थान आदेश नहीं हो  
 तो पुनः परीक्षा कर नियमानुसार कार्यवाही अमल  
 में लाये। प्राची विरमजीत ने यह प्रार्थना पर  
 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के निर्णय  
 दिनांक 21/7/2023 की पालना हेतु प्रकृष्ट किया है।  
 अतः प्राची द्वारा प्रकृष्ट निर्णय दिनांक 21/7/2023  
 की प्रति तटस्थता काड़ी को इस निर्देश के साथ  
 भिजवाई जावे कि उग्र प्रकृष्ट में किसी सक्षम न्यायालय  
 का स्थान आदेश न हो तो नियमानुसार आवश्यक  
 कार्यवाही करे। पत्रावली फॉसल शुमार होकर नम्य (से 25  
 की जावे का तत्काल पत्रावली दायरे लक्ष्य हो।

  
 श्रीनिधि बी टी  
 जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर  
 न्याय